तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/11/24	पत्रावली प्रस्तुत। वादी के पुत्र श्री सुखदेव सिंह ने प्रार्थी अर्थ राजेन्द्र शर्मा के प्रमाणतनामा पेश करते हुए प्रा.पत्र आदेश 22 नियम 10 पत्र पेश किया और प्रा.पत्र पर बहस की प्रार्थना की। अधि श्री राजेन्द्र शर्मा ने अपनी बहस मे प्रा.पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी दयालसिंह ने अपने जीवनकाल मे समस्त चल अचल सम्पत्तियो की वसीयत प्रार्थी सुखदेव सिंह के नाम लिखकर दिनांक 25.10.2005 को उपपंजीयक जलालपुर के यहां पंजीबद्ध करवाया था। दयाल सिंह (वादी) की मृत्यु दिनांक 2/5/08 को हो जाने से उसकी वसीयत प्रभाव मे आ गई। जिससे प्रार्थी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	उन सभी सम्पतियों का मालिक हो गया। वाद वर्णित भूमि पर वादी अपने जीवनकाल से लगातार काबिज काश्त रहा है और चला आ रहा है जिससे विवादित आराजी में वादी का हित निहित है अतः वादी को पक्षकार बनाया जावे। अन्यथा वादी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रा. पत्र स्वीकार किया जावे। पत्रावली व प्रा. पत्र का अवलोकन किया। वाद वर्णित आराजी वादी दयालसिंह के नाम खातेदारी में न होकर वन विभाग के नाम खातेदारी में है अतः वसीयत का प्रभाव इस वाद की विवादग्रस्त आराजी पर नहीं है प्रार्थी ने विवादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा वादी के जीवनकाल के समय से ही बताया है, जबकि कब्जे काश्त के सम्बंध कोई दस्तावेज प्रा. पत्र के साथ संलग्न नहीं है अतः केवल कब्जे काश्त के आधार पर जिसका कोई सबूत भी नहीं है, प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित व विधि अनुकूल नहीं है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रार्थी यदि वाद में पक्षकार बनना चाहता है तो दयालसिंह के विधिक वारिसान के साथ नियमानुसार कायम मुकाम स्थापन हेतु प्रा.पत्र पेश करना चाहिए था। अतः प्रा.पत्र सारहीन व विधि अनुसार नहीं होने से, प्रा.पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 CPC खारिज किया जाता है तथा वाद भी वादी दयालसिंह पुत्र श्री लाभसिंह जाति ठवारिया की मृत्यु होने व दयालसिंह (वादी) के सभी विधिक वारिसान द्वारा नियमानुसार कायम मुकाम प्र.पत्र पेश नहीं के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। [illegible]